

295

नं. सीपीपीआरआई/आरटीआई/2019/10/(आई)

दिनांक: 30.09.2019

सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड,
(पेपर सेक्शन)
भारत सरकार
न्यू दिल्ली


विषय: सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत आपके प्रार्थना दिनांक के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02/09/2019 जो कि सूचना का अधिकार, अधिनियम-2005 के अंतर्गत इस संस्थान को प्रेषित है का संदर्भ लें।

इस संबंध में सूचनीय है कि आप द्वारा वांछित सूचना संस्थान के संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना पत्र दिनांक 26/09/2019 की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,


(डा. एम. के. गुप्ता) 30/9/19
जन सूचना अधिकारी

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि: निजी सचिव: निर्देशक महोदय, सीपीपीआरआई

ok

Akshay
11/10/19

Fw: विषय: मल्टी कापी पेपर १६० जी एस एम के उत्पादन के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार २००५ के अंतर्गत मांगी गयी सूचना.

Thu, Sep 26, 2019 at 3:06 PM

manoj <mkg_cppri@rediffmail.com>
To: cpprilibrary <cpprilibrary@gmail.com>

Dr. M. K. Gupta
Scientist F & Head
Environmental Management Division
Central Pulp & Paper Research Institute
Saharanpur - 247001 (U.P.)
Mob. No. 09411295672
Tel. No. 0132-2714056

Sent from RediffmailNG on Android

From: CPPRI CPPRI <cppri@yahoo.com>
Sent: Wed, 25 Sep 2019 19:28:00 GMT+0530
To: Manoj Gupta <mkg_cppri@rediffmail.com>
Subject: विषय: मल्टी कापी पेपर १६० जी एस एम के उत्पादन के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार २००५ के अंतर्गत मांगी गयी सूचना.

संदर्भसंख्या: सी पी पी आर आई / बी ओ डी/ आर टी आई

दिनांक: २५/९/२०१९

सेवा में,

डॉ. एम के गुप्ता

वैज्ञानिक एंफ़ & जन सूचना अधिकारी

सी पी पी आर आई

सहारनपुर

विषय: मल्टी कापी पेपर १६० जी एस एम के उत्पादन के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार २००५ के अंतर्गत मांगी गयी सूचना.

महोदय :

यह पत्र आपके पत्र संख्या नंबर सी पी पी आर आई/आर टी आई/ २०१९/२९५ दिनांक ११/९/२०१९ के संदर्भ में है. उक्त आर टी आई के द्वारा मांगी गयी सूचना निम्नलिखित है:

१) मल्टी कापी पेपर १६० जी एस एम पेपर के उत्पादन भारत में कौन कौन सी पेपर मिल में होता है। नाम बताये जाये।

उत्तर : मल्टी कापी पेपर नाम से किसी भी पेपर कि जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं है. हमारे पास कागज़ उत्पादन का कुल योग का आंकड़ा ही संकलित किया जाता है. विभिन्न प्रकार के कागज़ का प्रथक - प्रथक

उत्पादन का आंकड़ा (variety wise production) संकलित नहीं किया जाता.

2) क्या भारत सरकार मल्टी कापी पेपर १६० जी एस एम के उत्पादन के लिए कोई योजना विचारधीन है. ब्यौरा दिया जाये

उत्तर: कागज़ उद्योग भारत में पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है. इस के लिए किसी तरह किए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती. कागज़ उद्योग केवल बाज़ार की मांग के अनुरूप ही कार्य करता है.

3) क्या भारत या राज्य सरकार के अधीन के मल्टी कापी पेपर १६० जी एस एम का उत्पादन कर रही है।

उत्तर: हमारी जानकारी में भारत सरकार के आधीन आने वाली कोई भी कागज़ इकाई उत्पादन नहीं कर रही है. राज्य सरकार के आधीन कागज़ इकाइयों का विवरण संबंधित राज्य के पास होता है जो राज्य से लिया जा सकता है.

४) क्या मल्टी कापी पेपर १६० जी एस एम का आयात किया जाता है.

उत्तर: कागज़ का आयात आयी टी सी (एच एस) कोड ४८ के अन्दर होता है . इस सूचि में मल्टी कापी पेपर १६० जी एस एम नाम से कोई कागज़ आयात नहीं किया जाता.

भवदीय

डॉ. कवलजीत सिंह (वैज्ञानिक ड - २) एवं प्रभारी

Best Regards

Dr. Kawaljeet Singh

Senior Scientist & In-charge
Delhi office, Marketing, Business
Development & International Cooperation

A-55, Third Floor, Gujranwala Town,
Part-1, Delhi-110009
Land Mark: Opposite Vinayak Hospital,
Landline No. 011-49027213
Mobile No. 9910909169

It's OK to print this e-mail, in case you need it. Paper and Paperboard is a biodegradable, renewable, sustainable product made from planted trees. Growing and, harvesting trees provide jobs for millions of people. Working forests support the environment.